



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 24, 2012/माघ 4, 1933

No. 135]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 24, 2012/MAGHA 4, 1933

शहरी विकास मंत्रालय

(मैट्रो रेल प्रकोष्ठ)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2012

का.आ. 152(अ).—केन्द्रीय सरकार, मैट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आन्ध्र प्रदेश सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, हैदराबाद मैट्रोपोलिटन डेवेलपमेंट अथॉरिटी ऐक्ट, 2008 (2008 का आन्ध्र प्रदेश अधिनियम 8) की धारा 3 की उप-धारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट हैदराबाद के महानगरीय क्षेत्र पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के उपबंधों को विस्तारित करती है।

[फा. सं. के-14011/31/2005-मैट्रो]

बिमल कुजूर, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Metro Rail Cell)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2012

S.O. 152(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government after consultation with the Government of Andhra Pradesh, hereby extend the provisions of the said Act to the metropolitan area of Hyderabad, as specified in sub-section (1) of Section 3 of the Hyderabad Metropolitan Development Authority Act, 2008 (Andhra Pradesh Act 8 of 2008), with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. K-14011/31/2005-Metro]

BIMAL KUJUR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2012

क्र.आ. 153(अ).—केन्द्रीय सरकार, भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आन्ध्र प्रदेश सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, हैदराबाद मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऐक्ट, 2008 (2008 का आन्ध्र प्रदेश अधिनियम 8) की धारा 3 की उप-धारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट हैदराबाद के महानगरीय क्षेत्र पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के उपबंधों को विस्तारित करती है।

[फा. सं. के-14011/31/2005-मैट्रो]

बिमल कुजूर, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2012

S.O. 153(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978), the Central Government, after consultation with the Government of Andhra Pradesh, hereby extend the provisions of the said Act to the metropolitan area of Hyderabad, as specified in sub-section (1) of Section 3 of the Hyderabad Metropolitan Development Authority Act, 2008 (Andhra Pradesh Act 8 of 2008), with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. K-14011/31/2005-Metro]

BIMAL KUJUR, Under Secy.